

अभिलेखों का वर्गीकरण और संरक्षण। 107. प्रत्येक ग्राम परिषद तथा द्वीप परिषद विहित रीति में अपने अभिलेखा का तथा वर्गीकरण तथा संरक्षण करेगा।

अभिलेखों का निरीक्षण और प्रतियाँ। 108. प्रत्येक ग्राम परिषद तथा द्वीप परिषद को किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर अपने अभिलेखों की निरीक्षण की अनुमति देनी होगी तथा निर्धारित शुल्क की अदायगी पर उसकी प्रमाणिक प्रतियाँ भी देनी होगी।

कठिनाइयों को दूर करना। 109. (1) इस विनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो प्रशासक इस विनियम के प्रावधानों से अनसंगत उन प्रावधानों को जो इसमें शामिल हैं, की कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन है, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर सकता है।

बशर्ते कि ऐसा आदेश इस विनियम के लागू होने से दो वर्षों की समाप्ति के बाद जारी नहीं होगा।

(2) इस धारा के तहत बनाए प्रत्येक आदेश को यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

110. (1) प्रशासक सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा पूर्व प्रकाशित शर्तों के आधार पर इस विनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकता है।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता के लिए विशिष्टतया तथा बिना पूर्वाग्रह के, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपलब्ध कराए जा सकते हैं :-

(क) धारा 6 की उप धारा (3) के खण्ड (क) के तहत किसी ग्राम साधारण निकाय की संपत्ति एवं दायित्व के निपटान की रीति;

(ख) ग्राम साधारण निकाय के सदस्यों की मतदाता सूची तैयार करने की रीति तथा विवरण जो इसमें शामिल होगा और रीति जिसके धारा 8 के अंतर्गत इसे संशोधित किया जाएगा ;

(ग) धारा 9 की उप धारा (3) के तहत ग्राम साधारण निकाय की बैठक की सूचना देने की रीति;

(घ) महिलाओं और फर्स्ट कैप्टन के लिए आरक्षित सीटों को धारा 11 के परन्तुक के अधीन विभिन्न ग्राम परिषदों तथा विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में पारी-पारी से चुनाव आयोग द्वारा आबंटित की जाएगी।

(च) धारा 20 की उप धारा (1) के अधीन फर्स्ट कैप्टन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए दिए जाने वाले आवश्यक नोटिस;

(छ) धारा 21 की उप धारा (1) के अधीन सेकेन्ड कैप्टन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए दी जाने वाले आवश्यक नोटिस के लिए अवधि;

(ज) धारा 23 की उप धारा (5) के अधीन सचिव, अन्य अधिकारीगण तथा कर्मचारियों की सेवा की शर्तें;

(झ) धारा 24 की उप धारा (1) के अधीन ग्राम परिषद की बैठक तथा स्थान और उस बैठक में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;

(ट) धारा 24 की उप धारा (2) के अधीन संकल्प पारित करने की प्रक्रिया तथा प्रश्न प्रस्तुत करना;

(ठ) धारा 25 की उप धारा (1) के अधीन नियंत्रण तथा प्रतिबंधित जिसके आधार पर ग्राम परिषद समितियों कर सकता है;

(ड) धारा 25 की उप धारा (2) के अधीन कारण एवं रीति जिसके तहत समिति का विघटित अथवा पुनर्गठित किया जा सकता है;

(ढ) शर्तें जिसके आधार पर प्रशासक धारा 30 की उप धारा (1) के अधीन भू राजस्व एकत्रित करने तथा अन्य वसूली किए जाने योग्य देय के कार्यों के लिए ग्राम परिषद को कार्य सौंप सकता है;